RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)

वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004

फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486

ई–मेल : coldstorage@satyam.net.in वेबसाइट : http://www.fcaoi.org

श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400

मूल्य : 1/– रु0 31 दिसम्बर, 2011 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री राजेश गोयल, आगरा। वर्ष : 8, अंक : 7

संगठन ही शक्ति है

नव वर्ष की शुभकामनाएँ !

हम अपने सभी सदस्यों को नव वर्ष की शुभकामनाएँ देते है और प्रार्थना करते है कि आगामी वर्ष उनके लिए मंगलमय हो और खूब सारी खुशियाँ लेकर आए।

बन्धुवर,

इस वर्ष का सत्र जैसे–तैसे करके समाप्त हो गया है। देखा यह गया है कि काफी शीतगृहों में आलू के रेट बहुत अधिक गिर जाने के कारण काफी भण्डारणकर्ता आलू को शीतगृहों से निकालने नहीं आए इस कारण शीतगृहों को न केवल भाड़े का नुकसान हुआ वरन् इस आलू पर दिया हुआ लोन भी डूब गया। परेशानियों की हद यहाँ तक ही नहीं रही बल्कि तमाम शीतगृहों को आलू फिकवाने के लिए जगह भी नहीं मिली। अनेक शीतगृहों ने आलू फ्री में बँटवाया फिर भी परेशानी से छुट्टी नहीं मिली। आलू फिकवाने पर जनपद अधिकारियों

बायें से दायें : श्री मोहम्मद अकरम, कोषाध्यक्ष, श्री राजेश गोयल, सचिव, श्री महेन्द्र स्वरूप, अध्यक्ष, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, सदस्यों को सम्बोधित करते हुए व मुख्य अतिथि श्री मुकुल सिंघल, प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश

ने व प्रदूषण बोर्ड वालों ने परेशान किया। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को हम सरकार के सामने भी ला रहे हैं। इस समस्या के हल के लिए शीतगृहों को खुद भी काफी प्रयत्न करने पड़ेंगे। जिसमें मुख्य है आलू पर लोन न बाँटना और यदि देना ही है तो किसी भी कीमत पर बोरों से अधिक लोन न देना।

यह शीतगृहस्वामी जानते ही है कि लोन मिल जाने के बाद वह आलू सबसे बाद में निकाला जाता है जिस पर लोन होता है। शीतगृहों द्वारा लोन बाँटे जाने से बाजार में किसानों/व्यापारियों की आलू खरीदने की ताकत बढ़ जाती है जिससे फसल की खुदाई के समय आलू के भाव में नकली तेजी आ जाती है। जैसे ही शीतगृह भर जाते हैं आलू के भाव गिरने लगते है फिर वही नकली तेजी के बराबर भाव आने तक काफी समय लग जाता है क्योंकि जब तक पुराने भाव से ऊँचा आलू नहीं बिकता भण्डारणकर्ता आलू को शीतगृहों से नहीं निकालता। अतः आलू को निकाल कर बेचने का समय कम होता जाता है क्योंकि आलू के पूर्णतया शीतगृहों के निकालने का समय तभी तक रहता है जब तक नई फसल न आ जाये और नई फसल अक्टूबर माह के अन्त तक आनी शुरू हो जाती है।

इस कारण से आलू शीतगृहों मे फँसा रह जाता है जिस पर अनेक परेशानियाँ जन्म ले लेती है।

यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि अब आलू की अनेक प्रजातियाँ ऐसी आ गई है जो बहुत कम समय में तैयार हो जाती है और इसी तरह उनके शीतगृहों मे सुरक्षित रह पाने का समय भी कम होता जाता है। आलू की सभी प्रजातियाँ 8 माह का भण्डारण नहीं बर्दाशत कर सकती कुछ प्रकार के आलू 6 महीने भन्डारण के बाद ही खराब होने लगते है और कुछ 7 माह के भण्डारण के बाद। आठ माह के भन्डारण के बाद तो कोई भी आलू ऐसा नहीं रह जाता जो कि अपनी गुणवत्ता में भण्डारण समय समाप्त हो जाने के बाद सही उतरे परन्तु उद्यान विभाग बगैर इन तथ्यों को ध्यान में दिए आलू क्षति का प्रतिकर सभी किस्म के आलूओं पर बाजार भाव देखकर सामान्य रूप से निर्धारित कर देता है। इस पर शीतगृहस्वामियों को स्वयं ध्यान देना होगा और भण्डारण के समय पहुँच रसीद पर आलू की किस्म का विवरण अवश्य देना होगा।

अनेक शीतगृह भण्डारण के लिए शीतगृहों में आलू पहुँच जाने के बाद पक्की रसीद फार्म 7 नहीं देते इस कारण भी प्रतिकर के निर्धारित होते समय उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती। अनेक शीतगृह अपनी आलू पहुँच पर भन्डारण प्रभार की जगह कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन द्वारा निर्धारित लिख देते है। ज्ञात हो कि कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश कभी भी भण्डारण प्रभार निर्धारित नहीं करता व भण्डारण प्रभार तो प्रत्येक शीतगृह को स्वयं निर्धारित करना होता है। कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश तो मात्र एक सलाह देता है। अतः कानूनी स्तर पर ऐसे शीतगृहों को हारना पड़ता है। अतः आपको सुझाव है कि पक्की रसीद जरूर बनाए और यदि उस समय न दे पाए तो लोडिंग खत्म होने के 8/10 दिन मे पक्की रसीद को भण्डारणकर्ताओं तक पहुँचाने का प्रयत्न करें।

शीतगृह के बीमा सम्बन्धी :

हमने आपके बीमा सम्बन्धी विभिन्न कम्पनियों के रेट लिए हैं जो कि पहले चलने वाले रेटों से 75 प्रतिशत के आस–पास कम बैठते हैं। यह रेट 44–45 पैसे हजार के हैं। इसके ऊपर कुछ कमीशन की व्यवस्था भी है। यदि यह बीमा बड़ी मात्रा में करवाया जाये या एसोसिएशन के माध्यम से कराया जाये। इतने कम रेट पर हम यह आशा करते हैं कि शीतगृह स्वामी अपने यहाँ के स्टाक और बिल्डिंग का बीमा अधिक से अधिक सही रेट पर करवायेंगे। यह बीमा आप किसी भी सरकारी कम्पनी से जैसे नेशनल इन्शयोरेन्स न्यू इण्डिया, यूनाइटेड या ओरियन्टल से करवा सकते हैं और प्राइवेट कम्पनियों से हमारी कोई बात नहीं हुई है। पॉलिसी के बारे में आप हमसे सम्पर्क कर सकते हैं। हम आपको पॉलिसी कण्डीशन में क्या–क्या सुधार होने हैं वह सब लिख भेजेंगे।

आलू भन्डारण की बुकिंग के सम्बन्ध में :

हम अपने सदस्यों को समय–समय पर नियमों की जानकारी देते रहते है फिर भी हमारे अनेक सदस्य उन नियमों को ठीक से नहीं पढ़ते और न ही उन नियमों को अपने पास इस तरह सुरक्षित

बिकाऊ है

- K.C. 4 कम्प्रेशर + 100 H.P. किर्लोस्कर मोटर M.E.I. स्टार्टर के साथ।
- K.C. 3 कम्प्रेशर + 75 H.P. किर्लोस्कर मोटर M.E.I. स्टार्टर के साथ।
- 12 नग कण्डेन्सर चालू एवं अच्छी हालत में।
- 425 नग केने (8''x16''x39'')
- 125 K.V.A. (2 नग) जनरेटर (जैक्शन) 2003 मॉडल चालू एवं बहुत अच्छी हालत में।
- 20 K.V.A. जनरेटर सेट (रस्टन) चालू एवं बहुत अच्छी हालत में।
- रिसीवर बर्फखाने की क्वायल, केबिल, स्टार्टर, मेन स्विच आदि।

उपरोक्त बर्फखाना, मशीनरी इत्यादि तुरन्त चालू हालत में (वर्तमान में प्लान्ट चालू है) बिक्री हेतु उपलब्ध।

सम्पर्क करें :

मोहित मित्तल, प्रबन्धक

रामा कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस फैक्ट्री

12, पत्थर चौराहा, वीसल, जिला – पीलीभीत (उत्तर प्रदेश)

मोबाइल : 09897912200, 9410025919

रखते है कि आवश्यकता के समय उन नियमों को पढ़ सके और नियमानुसार कार्य कर सके। नया सत्र चालू होने को है अतः आपको बुकिंग सम्बन्धी नियम का मालूम होना नितान्त आवश्यक है। हम पहले भी इस नियम को अपनी पत्रिका मे दे चुके हैं। इसे हम फिर प्रस्तुत कर रहे हैं कुछ नए सदस्यों के लिए व कुछ उन सदस्यों के लिए जो यह नियम भूल चुके हैं। कृपया ध्यान दें कि बुकिंग 5 जनवरी से 14 फरवरी तक की जानी है और किन नियमों के अनुसार की जानी है, वह सब यहाँ दिए है।

संख्या – 3532/अठ्ठावन–1–98–100 (28)/98

प्रेषक,

श्री अरविन्द मोहन, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (मै.क्षे.), उत्तर प्रदेश लखनऊ

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 16 अक्टूबर, 1998

विषय : उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1976 की धारा–44 के अधीन जारी निर्देश

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1976 (यथा संशोधित) की धारा–44 के अधीन शीतगृहों में भण्डारण नये कोल्ड स्टोरेज का निर्माण की अनुज्ञा एवं लाइसेंस समयावधि तथा लाइसेंस के नवीनीकरण आदि हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाये जाने का निर्णय लिया गया है :–

भण्डारण हेतु उपलब्ध क्षमता का उपयोग

(1) प्रदेश के समस्त शीतगृहों में प्रत्येक वर्ष की 5 जनवरी से खिड़की और बुकिंग प्रक्रिया लाइसेन्सधारी द्वारा प्रारम्भ की जायेगी और कुल भण्डारण क्षमता का 85 प्रतिशत बुकिंग होने की अवधि तक अथवा फरवरी माह की 14 तारीख तक जो पहले हो, बुकिंग चालू रखी जायेगी।

(ख) कोल्ड स्टोरेज अधिनियम की धारा–14 (1) के अन्तर्गत 10 प्रतिशत क्षमता का उपयोग अधिकृत अधिकारी द्वारा 28 फरवरी तक दिये

गये निर्देशों के अनुपालन में इस प्रतिबन्ध के साथ कि 15 मार्च के अन्दर ही दिये गये निर्देश मान्य होंगे, किया जायेगा इसके पश्चात् अवशेष भण्डारण क्षमता का उपयोग लाइसेंसधारी स्वविवेक और अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत रहते हुये करेगा।

(ख) शेष 15 प्रतिशत क्षमता का उपयोग लाइसेंसधारी द्वारा नियमावली के नियम–3 (8) के अनुसार किया जा सकेगा।

बुकिंग हेतु पर्चा/स्लिप का निर्गमन

2. (क) इच्छुक भण्डारणकर्ता यदि आलू उत्पादक कृषक है तो उसे सम्बन्धित ग्राम प्रधान/वी.डी.सी. सदस्य/जिला पंचायत सदस्य/ब्लाक प्रमुख/नगर पंचायत सदस्य/अध्यक्ष लेखापाल या ग्राम विकास अधिकारी से गाँव का काश्तकार होने के सम्बन्ध में केवल एक पर्ची (स्लिप) प्राप्त की जायेगी जिसमें उसका नाम, पिता का नाम, ग्राम व पोस्ट, जनपद का नाम कुल बोये आलू का क्षेत्रफल कुल उत्पादित आलू की मात्रा कुन्तल/बोरों में प्रमाणित की जायेगी। इस श्रेणी के भण्डारणकताओं हेतु शीतगृह की कुल क्षमता की 75 प्रतिशत क्षमता नियत होगी।

(ख) इच्छुक भण्डारणकर्ता यदि कृषक नहीं है तो उसे आलू को भण्डारित कराने के लिये उसके द्वारा प्रस्तुत पर्ची में उसका नाम पिता का नाम स्थायी तथा व्यवसाय (जिलाधिकारी) परगनाधिकारी/जनपदीय उद्यान अधिकारी द्वारा प्रमाणित एवं आलू भण्डारित करने का उद्देश्य अंकित करना होगा। ऐसे भण्डारणकर्ताओं का आलू कोल्ड स्टोरेज की भण्डारण क्षमता के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और इस बुकिंग का रिकार्ड कृषकों की रिकार्ड पंजिका में पृथक पंजिका पर की जायेगी।

(ग) यदि 'क' व 'ख' में निर्धारित क्षमता की बुकिंग 14 फरवरी तक न हो तो लाइसेंसधारी लाइसेंसअधिकारी को पूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये शेष क्षमता का उपयोग स्वविवेक से कर सकता है।

बुकिंग की खिड़की	(2)	बुकिंग हेतु प्रत्येक लाइसेंसधारी प्रत्येक कार्य दिवस को प्रातः 10 बजे से सायंकाल 5.00 बजे तक खिड़की पर बुकिंग हेतु संबंधित कर्मचारियों को व अन्य आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
बुकिंग की जमानत राशि	(4)	इच्छुक भण्डारणकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार और स्थान में उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में जितने कुन्तल भण्डारण के लिये बुकिंग की जायेगी उसके सापेक्ष 10.00 रुपये (मात्र दस रुपये) प्रति कुन्तल की दर से जमानत की राशि भी देनी होगी परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि 200 बोरो के लिये जमानत की अधिकतम धनराशि रुपया 1500 (रुपया पन्द्रह सौ मात्र) तथा इसके ऊपर बोरो के लिये रु. 4000.00 (रुपये चार हजार मात्र) से अधिक नहीं ली जायेगी। बुकिंग पर्ची पर इच्छुक भण्डारणकर्ता को आलू भण्डारण हेतु तिथि तथा उससे ली गयी जमानत की धनराशि को अंकों एवं शब्दों में अंकित किया जायेगा एवं उसकी उचित रसीद भी दी जायेगी।
जमानत का धन राशि का समायोजन	(5)	इच्छुक भण्डारणकर्ता से ली गयी जमानत की धनराशि का उसके द्वारा भण्डारित माल को निकासी के समय समायोजन कर दिया जायेगा।
भण्डारण न करने की दशा में जमानत की धनराशि का जब्त किया जाना	(6)	यदि कोई इच्छुक भण्डारणकर्ता अपनी बुकिंग के सापेक्ष माल भण्डारित नियत तिथि को नहीं कराता है तो उसके द्वारा दी गयी जमानत की धनराशि लाइसेंसधारी द्वारा जब्त कर ली जायेगी।
बुकिंग एवं समीक्षा	(7)	प्रत्येक लाइसेंसधारी शीतगृहों पर की गयी बुकिंग को नियमानुसार पता व नाम की सूची जनपदीय उद्यान कार्यालयों को साप्ताहिक रूप से उपलब्ध करायेगा और सम्बन्धित जनपदीय कार्यालय के अधिकारी सप्ताह में कम से कम एक बार मौके पर जाकर समीक्षा करेंगे तथा कारण बताओ नोटिस देने के पश्चात् अनियमित रूप से की गई बुकिंग को निरस्त कर सकेंगे प्रतिबन्ध यह है कि निरस्त करने की प्रक्रिया भण्डारण के पश्चात प्रभावी नही होगा।

भण्डारण रसीद का तौल सहित निर्गमन

(8) लाइसेंसधारी भण्डारणकर्ता को अधिनियम की धारा–32 के अन्तर्गत पूर्ण पतायुक्त रसीद भण्डारण होने के तुरन्त बाद निर्गत करेगा जिसमें तौल और किराये का पूर्ण विवरण भी अंकित किया जायेगा। इस हेतु समस्त भण्डारणकर्ता का भी दायित्व है कि वह 2 (क) व (ख) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पता आदि का प्रमाण–पत्र उपलब्ध करा दें।

बीमा

(9) अधिनियम की धारा 23 में प्रत्येक लाइसेंसधारी से अपने कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये कृषि उत्पाद का आग, टूट–फूट (चाहे वह यांत्रिक या अन्य प्रकार हो) या ऐसे ही अन्य कारण से होने वाली हानि या क्षति के लिये बीमा का प्राविधान है इन्हीं प्राविधानों के अनुरूप बीमा समय से कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1976 के अध्याय–8 में वर्णित कार्यवाही से पूर्व सन्दर्भित प्रकरणों पर लाइसेंस धारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्धारित समय सीमा के अन्दर अवसर देंगे तथा परीक्षण के पश्चात् संतुष्ट होने पर नियमानुसार इस अध्याय के अन्तर्गत कार्यवाही करेंगे।

नये कोल्ड स्टोरेज के निर्माण की अनुज्ञा एवं लाइसेंस हेतु समयावधि

(10) उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1976 की धारा–9 के अनुसार कोल्ड स्टोरेज निर्माण की अनुज्ञा अथवा नवनिर्मित शीतगृहों का लाइसेंस अधिनियम की धारा–6 के अन्तर्गत लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति, नियमावली व लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा निर्धारित आवेदन पत्रों एवं अन्य औपचारिकतायें पूर्ण करके आवेदन पत्र उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश के जनपदीय अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे और जनपदीय अधिकारी ऐसे आवेदन पत्रों के प्राप्त होने पर प्राप्ति स्वीकार करने विषयक रसीद सम्बन्धित आवेदनकर्ता को देंगे जिस पर कार्यालय की मुद्रा और तिथि अंकित होगी, साथ ही प्राप्त संलग्नकों का भी विवरण अंकित होगा।

जनपदीय उद्यान अधिकारी अपने स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करके आवेदन–पत्र अपने मण्डलीय अधिकारी को प्राप्ति तिथि से 10 दिनों के भीतर अग्रसारित कर देंगे और मण्डलीय उद्यान अधिकारी के स्तर की कार्यवाही अधिकतम 5 दिनों में पूर्ण कर प्रकरण को निदेशक एवं लाइसेंसिंग अधिकारी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तर प्रदेश को अग्रसारित कर दिया जायेगा और निदेशक/लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा अनुज्ञा/लाइसेंस 10 दिनों की अवधि में निर्गत किया जायेगा।

कोल्ड स्टोरेज लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु समयावधि

(11) उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज लाइसेंस देना नियमावली 1976 द्वारा निर्धारित नियमों का अनुसरण करते हुये और लाइसेंसिंग अधिकारी (कोल्ड स्टोरेज) एवं निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तर प्रदेश द्वारा समय–समय पर निर्धारित औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुये निर्धारित नवीनीकरण के प्रार्थनापत्र जनपदीय उद्यान अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे और जनपदीय अधिकारी द्वारा उपरोक्त बिन्दु 10 की भाँति प्राप्त रसीद दी जायेगी और समस्त कार्यवाही पूर्ण कर प्रकरण को सम्बन्धित जनपद के जिला अधिकारी एवं लाइसेंसिंग अधिकारी कोल्ड स्टोरेज के समक्ष अधिकतम एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत किया जायेगा और जिलाधिकारी/लाइसेंसिंग अधिकारी कोल्ड स्टोरेज द्वारा नवीनीकरण का पत्रावलियों का निस्तारण अधिकतम 5 दिनों में किया जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि कोल्ड स्टोरेज के लाइसेंस को सामान्य नवीनीकरण की कार्यवाही पिछले वर्ष के नवम्बर माह के प्रथम पक्ष तक प्रत्येक दशा में सम्पादित करा दी जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जनपदीय उद्यान कार्यालय द्वारा समस्त लाइसेंसधारियों को ट्रेजेरी चालान प्रपत्र जिला उद्यान अधिकारी के हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं है और न ही इस हेतु लाइसेंसधारी को बाध्य किया जाये।

2. कृपया उपर्युक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थों को भी अवगत करा दें।

भवदीय

(अरविन्द मोहन)

सचिव

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का वार्षिक चुनाव :

हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की वार्षिक मीटिंग मे एसोसिएशन के पदाधिकारियों के चुनाव की घोषणा की गई और नए पदाधिकारियों के चयन के लिए नाम माँगे गये। इसकी सूचना हम अपनी पत्रिका द्वारा पिछले अंकों में भी दे चुके थे और यह सुविधा दी थी की पत्र द्वारा भी प्रत्याशी का नाम भेजा जा सकता है और यदि कोई किसी खास प्रत्याशी को वोट देना चाहता है तो वोट भी दे सकता है परन्तु हमें किसी भी प्रत्याशी का किसी पद के लिए कोई नाम नहीं मिला। अतः हम एसोसिएशन के कार्य के लिए फिर पुरानी टीम को वर्ष 2012 के लिए नियुक्त कर रहे हैं।

Compressor Oil कम्प्रेसर ऑयल के सम्बन्ध में :

जैसे कि हर वर्ष में हम Compressor Oil कम्प्रेसर ऑयल के विभिन्न कम्पनियों के रेट आप तक भेजने का प्रयत्न करते रहे है इस वर्ष भी हमें एक कम्पनी को छोड़ कर और कम्पनियों के रेट नही मिल पाए है। Seetul N 68 (Hindustan Petroleum) तेल का रेट मय टैक्स के 29,795 रू प्रति बैरल आया है। अगर हमें अगले महीने और कम्पनियों के रेट मिल कर गए तो अगले माह प्रकाशित करेंगे।

कानपुर मीटिंग के बारे में :

हम अपने सदस्यों को पुनः याद दिलाना चाह रहे है कि 1.2.2012 को कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की मीटिंग कानपुर में आयोजित की जा रही है। इस मीटिंग मे विशेष रूप से वर्ष 2012 के भन्डारण प्रभार के बारे मे चर्चा होगी और एक सलाहकारी रेट दिया जायेगा। इसके साथ वर्ष 2012 मे भन्डारण सम्बन्धी समस्याओ और उनके निदान पर भी चर्चा होगी। सारे सदस्यों का पहुँचना अत्यन्त आवश्यक है। मीटिंग की पूरी सूचना हम पत्र द्वारा प्रत्येक सदस्य को भेजेंगे।

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश वार्षिक मीटिंग दिनांक 7.12.2011 होटल कर्लाक अवध, लखनऊ

वार्षिक मीटिंग में विभिन्न मशीनीरी निर्माताओं ने अपने उत्पादों का प्रर्दशन किया जिनकी लिस्ट निम्न प्रकार है :–

कम्पनी का नाम व पता	प्रोडक्ट	ई–मेल	टेलीफोन नं.
किर्लोस्कर न्यूमेटिक क.लि. 208, मेघदूत 9, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली – 110019	रेफ्रीजरेशन कम्प्रेशर	srivastavaamit@airtelmail.com	011-46561664

कम्पनी का नाम व पता	प्रोडक्ट	ई–मेल	टेलीफोन नं.
भास्कर पावर प्रोजेक्ट्स प्रा.लि., टी–2, तृतीय तल, वेदराज काम्पलेक्स, 92 जी.बी. मार्ग, लखनऊ (उ0प्र0)	जेनरेटर	sushilkumar@bhaskarpower.com	9888076067
सी. एण्ड एस. हिमोयनसा प्रा.लि., शाह टावर, द्वितीय तल, 21, स्टेशन रोड, लखनऊ (उ0प्र0)	जेनरेटर	ashish.shukla@cselectric.co.in	9792876333
जैक्सन लिमिटेड, 85, कैन्ट, कानपुर, (उ0प्र0)	जेनरेटर	jaksonkanpur@jakson.com	0512–2304677
मेटेलक्स क्रयोजेनिक्स लि., 407, भक्ति प्लाजा, ब्रीमन चौक, औन्ध पुलिस चौकी के सामने, औन्ध, पुणे–411007	रेफ्रीजरेशन कम्प्रेशर	metalax_delhi@rediffmail.com	
ओम साईं इन्टरप्राइजेज, अ–4 / 201, सिद्धार्थ नगर, भोर इण्डस्ट्रीज के सामने, खातु मिल कम्पाउन्ड, बोरीवली (ईस्ट), मुम्बई–400066	जेनरेटर	sales@omsaicontrols.com	9324097269
हाइड्रोडाइन (इण्डिया) प्रा.लि., ब–47, पेरामाउन्ट, न्यू लिन्क रोड, अन्धेरी (वेस्ट), मुम्बई–400053	अमोनिया पम्प	info@hydrodynepumps.com	9773534159
पावर इक्यूपमेन्ट्स सर्विसेस, 52, बलवन्त नगर, जेल चुंगी, मेरठ–250006	जेनरेटर	power-equip@energysaver.co.in	9837060006
बॉम्बे अमोनिया रेफ्रीजरेशन क. 9 / 47, कीर्ति नगर, इण्डस्ट्रीयल एरिया, नई दिल्ली–110015	कोल्ड स्टोरेज मशीनरी सप्लायर	bombayammoniaref@indiatimes.com	981004792
अल्फा लेवल (इण्डिया) लिमिटेड 79 / 14 प्रथम तल शॉप न. 9, शुक्ला मार्केट, लाटूश रोड, कानपुर–01	एयर कूलर	sanjay.tandon@alfalaval.com	9839068868

FEDERATION OF COLD STORAGE ASSOCIATIONS OF INDIA

Regd. Office : Swarup Cold Storage, Aishbagh, Lucknow (U.P.) Pin - 226004
Phone : 0522-2242486, Fax : 91-0522-2242486, Mob. : 9335019355, 9415418566
E-mail : coldstorage@satyam.net.in, Website : http : //www.fcaoi.org

Regd. No. 907-2001/2

Mahendra Swarup - President, **Swapan Kumar Mondal** - Vice President (North), **Ashish Guru,** Vice President (South)
Mukesh Kr. Aggarwal - Hony. Secy., **B.L. Jaju** - Dir. Incharge and Finance Controller, **S.N. Ashraf** - Jt. Secy. and Dir. Coordination,
Kulwant Singh Saini - Director Information & Revenue, **Rajesh Goyal** - National Coordinator, **Gubba Nagender Rao** - Coordinator (South)
Engr. Major Md. Jasimuddin (Retd.) President, Bangladesh Cold Storage Association (International Coordinator)

TOGETHER WE PROGRESS

सभी प्रदेशों से आलू की बुआई के समाचार मिल रहे है। इन समाचारों के आधार पर व उद्यान विभाग द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर यह पता लगा है कि आलू की बुआई पिछले वर्ष से 15 प्रतिशत से भी ज्यादा हो रही हैं। इतनी अधिक बुआई के बाद उत्पादन भी अधिक होने की आशा की जा रही है। अभी तक मौसम अनुकूल चल रहा यदि एक माह मौसम और अनुकूल रहा तो आलू का आज तक का रिकार्ड उत्पादन होने की आशा की जा रही है।

ऐसी दशा में शीतगृहों को भण्डारण के लिए आलू कम मिलने की समस्या पर ध्यान नहीं देना चाहिए वरन् सारा ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहिए की भण्डारित माल का निस्तारण किस प्रकार हो। इसमें सबसे ज्यादा आवश्यक कदम यह है कि शीतगृहों को स्वंय लोन नहीं देना चाहिए। यदि अत्यन्त आवश्यक हो तो केवल खाली बोरों तक की कीमत तक का लोन दें जिनमें आलू भर कर उनके ही शीतगृह में आ जाए इस प्रकार वही भण्डारणकर्ता शीतगृहों की तरफ आएंगे जो सही रूप में भण्डारण करने के प्रति समर्पित है।

बिक्री हेतु

बदायूँ चन्दौसी रोड (SH–43) पर 41024 पैकेट (50 किलोग्राम) क्षमता का कोल्ड स्टोरेज – 502 वर्ग गज क्षेत्रफल में।

सम्पर्क करें :

मैसर्स ऊँ कोल्ड स्टोरेज

ग्राम – नदवारी, पोस्ट ऑफिस – सैदपुर, बदायूँ (उत्तर प्रदेश)

इंजीनियर तुगुल गुप्ता (दिल्ली)
मोबाइल : 09212488888

सुरेश सर्राफ (वजीरगंज)
मोबाइल : 09286372671

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की वार्षिक मीटिंग

लखनऊ, 7 दिसम्बर, 2011

मीटिंग में आए सदस्यगण एक दृश्य।

मीटिंग में आए सदस्यगण एक दृश्य।

सेवा में,

Postal Registration No.SSP/LW/NP65/2011-13

....

....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित